


वकील शाफल उपरी अैहायल नं० 1 की ओर
से सड० जे० के० गर्ग ने वकालतनामा पेश किया।
अैहायल नं० 2 बाबखुद खुचना उपस्थित नहीं हैतः
अकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील उभयपक्ष
तर्फेसला दावा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये
इखने हेतु सहमत है।

अतः उभयपक्षकारान को तर्फेसला दावा
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि
वे भूमि ख० नं० 61 रकबा 1.72 हे०, 62 रकबा 0.21 हे०,
63 रकबा 3.08 हे०, 63 रकबा 4.55 हे० ग्राम
रामसिंहपुरा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
पत्रावली फैंसलशुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल काद रहे।


सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी (स०मा०)

सिंह
रामसिंहपुरा